कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः– 1800/11–सी–FP/UP/Trans/40906/2019, लखनऊः दिनांकः मार्च 05,2020

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषयः– ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0 द्वारा प्रस्तावित 400 के0वी0 डबल सर्किट जौनपुर–ओबरा पारेषण लाइन के निर्माण में मीरजापुर वन प्रभाग में प्रभावित 46.778 हे0 आरक्षित व 0.101 हे0 संरक्षित वनभूमि (46.879 हे0 वनभूमि) के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 364 वृक्षों एवं 494 बॉस कोठी में से 238 वृक्षों एवं 290 बॉस कोठी के पातन, ओबरा वन प्रभाग में प्रभावित 2.434 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग, जौनपुर वन प्रभाग की 0.518 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 28 वृक्षों में से 16 वृक्षों के पातन, वाराणसी वन प्रभाग में प्रभावित 0.265 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 03 वृक्षों के पातन की अनुमति एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग मीरजापुर में प्रभावित 39.536 हे0 आरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग तथा प्रभावित 585 वृक्षों एवं 17 बॉस कोठी में से 310 वृक्षों व 09 बॉस कोठी के पातन अर्थात कुल 88.748 हे0 आरक्षित एवं 0.884 हे0 संरक्षित, कुल योग 89.632 हे0 वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं प्रभावित 980 वृक्षों व 511 बॉस कोठी में से कुल 567 वृक्षों/पौधों एवं 299 बॉस कोठी के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक–4176/मी0क्षे0/33, दिनांक–02.03.2020

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। परीक्षणोपरान्त प्रस्ताव में ऑन–लाइन एवं हार्ड कॉपी में निम्नलिखित कमियॉ/अभिलेखों का आभाव पाया गयाः–

<u>ओबरा वन प्रभागः–</u>

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।
2. परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 09 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है जोकि पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे तथा संशोधित धनराशि ऑनलाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में भी सही करें।
3. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
4. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करे।
5. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे।

<u>वाराणसी वन प्रभागः–</u>

1. भू–स्वामित्व वाले विभाग (लो0नि0वि0/एन0एच0ए0आई0/रेलवे) का अनापत्ति प्रमाण पत्र जमा किये जाने की वचनबद्धता संलग्न है, जोकि स्वीकार नहीं है। अतः भू–स्वामित्व वाले विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
2. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।
3. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करे।
4. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे।

<u>जौनपुर वन प्रभागः–</u>

1. प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो का अनुरक्षरण सहित प्राक्कलन संलग्न है, जोकि भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार नहीं है। चूंकि जौनपुर वन प्रभाग में 1 हे0 से कम वनभूमि प्रभावित है। अतः इसे प्रस्ताव से पृथक कर भारत सरकार की नवीनतम गाइडलाइन के अनुसार कम से कम 1 हे0 में औषधीय पौधो के वृक्षारोपण का 10 वर्षो का अनुरक्षरण सहित प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन भाग–2 में अपलोड करे।
2. भू–स्वामित्व वाले विभाग (रेलवे एवं एन0एच0ए0आई0) का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है।
3. परियोजना से 10 किमी0 की परिधि में कोई सेन्चुरी/वन्य जीव विहार न होने के सम्बन्ध में प्रभागीय वनाधिकारी का प्रमाण–पत्र संलग्न नहीं है।

Acy-216

4. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करे।
5. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे।

मीरजापुर वन प्रभागः–

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।
2. पारेषण लाइन में आने वाले वृक्षों की गणना वैज्ञानिक नाम सहित सूची संलग्न की गयी है किन्तु प्रस्ताव के पृष्ठ सं0–76 पर संलग्न सूची में 367 वृक्षों का उल्लेख किया गया है, जोकि गलत है।
3. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करे।
4. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे।

कैमूर वन्यजीव प्रभागः–

1. प्रस्ताव में आरक्षित वनभूमि प्रभावित हो रही है, अतः प्रस्तावित आरक्षित वनभूमि का जिलाधिकारी से मूल्य निश्चित कराकर मूल्य के बराबर प्रीमियम (वनभूमि का मूल्य) और प्रीमियम का 10 प्रतिशत वार्षिक लीज रेंट वन विभाग के पक्ष में भुगतान किये जाने की स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न नहीं है। अतः स्पष्ट वचनबद्धता संलग्न करें।
2. परियोजना में लागत लाभ विश्लेषण से सम्बन्धित प्रमाण पत्र संलग्न है, किन्तु प्रमाण पत्र में एन0पी0वी0 की दर त्रुटिपूर्ण आगणित की गयी है। अतः सही एन0पी0वी0 की दर आगणित कर संशोधित लागत लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे।
3. परियोजना में प्रभावित वनभूमि के सापेक्ष दुगने अवनत वनभूमि पर 09 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न किया गया है जोकि पूर्ण नहीं है। अतः 10 वर्षो का अनुरक्षण सहित क्षतिपूरक वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करे तथा संशोधित धनराशि ऑनलाइन भाग–2 व हार्ड कापी भाग–2 में भी सही करें।
4. प्रस्तावित वनभूमि पर प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षरण सहित प्राक्कलन संलग्न है, किन्तु प्राक्कलन 12.033 हे0 पर ही प्रस्तावित है, जबकि प्रभाग में 39.536 हे0 वनभूमि प्रभावित हो रही है। अतः इस अंतर को स्पष्ट करते हुये संशोधित बौने (औषधीय) पौधों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों का अनुरक्षरण सहित प्राक्कलन संलग्न कर ऑनलाइन अपलोड करें।
5. ऑनलाइन भाग–2 के क्रमांक–5 में त्रुटिपूर्ण डाटा फीड किया गया है। अतः सही डाटा फीड करे।
6. ऑनलाइन भाग–2 के Additional Information Detail में सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड़ नहीं किया गया है। अतः सभी आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड़ करें।

कृपया किसी कार्यदिवस में अपने कार्यालय प्रतिनिधि के द्वारा प्रस्ताव की 03–03 प्रतियाँ प्राप्त कराकर, इंगित कमियों के निराकरण के पश्चात् **पूर्ण संशोधित एवं समेकित प्रस्ताव** इस कार्यालय को 03 प्रतियों में तत्काल उपलब्ध करायें, ताकि आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांकः–1800 / FP/UP/Trans/40906/2019, दिनांकित।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव पश्चिमी क्षेत्र, कानपुर।
2. वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, ओबरा, वाराणसी, जौनपुर, मिर्जापुर एवं कैमूर वन्यजीव प्रभाग, मीरजापुर।
4. महाप्रबन्धक, ओबरा–सी बदायूँ ट्रांसमिशन लि0, मकान नं0–116, ग्रीन पार्क कालोनी, बिलासपुर रोड, बरेली।

(पंकज मिश्र)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ0प्र0, लखनऊ।

Acy-217